संख्या: 49/2018/3782/12-2-2018-60(6)2017 टी0सी0

प्रेषक,

श्रुति सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 06 दिसम्बर, 2018

विषय: फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत नान एन0पी0ए0, एन0पी0ए0 तथा शिकायत संबंधी प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 824बी/क0नि0-6-2018-20(बी)15/2017 दिनांक 13 जुलाई, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत नान एन0पी0ए0, एन0पी0ए0 तथा शिकायत संबंधी प्रकरणों के निस्तारण के संदर्भ में निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त निर्गत शासनादेश के प्रस्तर-8 में यह उल्लेख किया गया है कि क्रियान्वयन का अधिकांश भाग पूरा हो चुका है, इसलिए अब पोर्टल के स्थान पर निम्न रोड-मैप के अनुसार कार्यवाही की जाय ताकि शीघ्रताशीघ्र पात्र कृषकों को लाभ प्राप्त हो सके:-

(क) शिकायत प्राप्ति हेतु ऑन-लाईन व्यवस्था के स्थान पर जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय हेल्प-डेस्क बनायी जायेगी। शिकायतकर्ता द्वारा भूमि और बैंक खाते की पासबुक एवं आधार कार्ड एवं संबंधित विवरण के साथ उक्त हेल्प डेस्क पर शिकायत दर्ज की जा सकेगी।

(ख) जिला स्तरीय समिति द्वारा योजना में विहित प्राविधानों एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया जायेगा।

(ग) कृषि विभाग द्वारा निर्धारित की जाने वाली प्रक्रिया के आधार पर डिमाण्ड जिला स्तर से ही पोर्टल पर जनरेट होगी। धनराशि का वितरण भी जनपद स्तर से होगा।

(घ) जिला स्तरीय समिति के निर्णय से असन्तुष्ट होने पर आवेदक द्वारा मण्डल स्तरीय समिति के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत किया जा सकेगा, जिसका निस्तारण योजना के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जा सकेगा।

(ड.) प्रदेश मुख्यालय पर डैश बोर्ड के माध्यम से योजना का अनुश्रवण किया जायेगा।

2. योजना को और अधिक प्रभावी रूप से प्रदेश के जनपदों में क्रियान्वित कराने के सम्बन्ध में दिनांक 20 जुलाई, 2018 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित सशक्त समिति की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार योजना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

को निम्न रोड-मैप के अनुसार संचालित कराते हुए कृषकों को योजना के प्राविधानों के अनुसार लाभान्वित कराया जायेगा:-

(1) जनपद में ऐसे स्थान पर हेल्प-डेस्क की स्थापना की जायेगी, जहॉ किसान आसानी से आकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकें।

(2) हेल्प-डेस्क केन्द्र पर बडा सा बोर्ड लगाया जायेगा, जिसमें "किसान फसल ऋण मोचन योजना से संबंधित शिकायत दर्ज कराने हेतु हेल्प-डेस्क केन्द्र" अंकित किया जायेगा।

(3) बोर्ड पर यह भी अंकित किया जायेगा कि किसान भाई शिकायत दजर् कराने के लिए वेबसाइट https://www.upkisankarjrahat.upsdc.gov.in पर दिये लिंक पर ऑफ-लाईन शिकायत दर्ज करने के लिए प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं।

(4) किसान को शिकायत के साथ आधार कार्ड की छाया प्रति, खतौनी की नकल की प्रति, जिस भूमि पर किसान द्वारा फसली ऋण लिया गया है, बैंक पास-बुक व प्रथम पेज एवं अन्तिम पेज की छाया प्रति जमा करना अनिवार्य होगा। आधार नम्बर को इस योजना में लाभ लेने के लिए प्रयोग किया जायेगा, इसका प्रमाण पत्र भी किसान से हस्ताक्षरित कराकर जमा कराया जायेगा। शासनादेश संख्या: 540 बी/क0नि0-6-2017-01(बी)/2017 दिनांक 24 जुलाई, 2017 के प्रारूप दस्तावेज में (जिलाधिकारी के माध्यम से) ऑफ-लाईन शिकायत दर्ज करने का प्रारूप दिया गया है जो निम्नवत है:-

किसान का नाम	पिता का नाम	राजस्व ग्राम (ड्राप डाउन सूची)	तहसील का नाम	विकास खण्ड का नाम	राजस्व ग्राम से जुडी बैंक शाखा का नाम (ड्राप डाउन सूची)	गाटा संख्या जिसके सापेक्ष ऋण लिया गया है।	ऋण खाता संख्या	राजस्व ग्राम का नाम	पटटाधारी		आधार संख्या		दूरभाष संख्या
									हॉ	नहीं	हॉ	नहीं	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(5) इसके साथ ही किसान से प्रार्थना पत्र भी लिया जायेगा, जिसमें किसान द्वारा अपनी शिकायत में यह उल्लेख किया जायेगा कि किसान को अब तक योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पाया, यदि मिला है तो कितनी धनराशि का लाभ मिल चुका है।

(6) जनपद स्तर पर स्थापित हेल्प-डेस्क केन्द्र के लिए एक अधिकारी को प्रभारी बनाया जायेगा, जिनके द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होने वाली शिकायतों की फीडिंग एवं अनुश्रवण का कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) हेल्प-डेस्क केन्द्र में कम से कम 03 कम्प्यूटर आपरेटर तैनात किए जायेंगें। इसके

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

साथ ही तीन कम्प्यूटर एवं उनके सहवर्ती उपकरण तथा इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध करानी आवश्यक होगी।

(8) हेल्प-डेस्क केन्द्र जनपद की ई-डिस्ट्रिक्ट लैब में बनाया जायेगा, क्योंकि वहॉ कम्प्यूटर आपरेटर, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, इन्टरनेट की सुविधा पहले से ही उपलब्ध होती है।

(9) यदि किसी किसान ने दोनों योजनाओं में एक शिकायतों के माध्यम से किसी एक बैंक से या एक से अधिक बैंकों में एक लाख की सीमा तक ऋण माफी का लाभ पूर्व में ले लिया है, तो अब किसान को कोई लाभ देय नहीं होगा। यदि किसान ने एक या अधिक बैंकों से लोन लिया है तथा उसे अभी तक एक लाख की सीमा तक जितना लाभ मिल चुका है, उस धनराशि को रूपये एक लाख से घटाते हुए जो शेष धनराशि बचेगी, उतना लाभ और दिया जायेगा, बशर्ते किसान द्वारा भिन्न-भिन्न भूमि पर लोन लिया गया हो।

(10) एन0पी0ए0, नान एन0पी0ए0 तथा शिकायतों के प्रकरण में ऐसे किसान जिनका भू-लेख मैपिंग पोर्टल पर नहीं हुआ है तथा तहसील द्वारा स्थलीय सत्यापन करने पर यदि किसान को लघु या सीमान्त कृषक घोषित किया जाता है, ऐसे प्रकरण को जिला स्तरीय समिति द्वारा यदि पात्र किया जाता है तो जनपद वैलिडेशन में भू-लेख नॉट मैप वैलिडेशन में सस्पेक्ट न किया जाये।

(11) आधार नम्बर एवं नाम का वेरीफिकेशन UIDAI से नहीं किया जायेगा। जनपद स्तर पर गठित जिला स्तरीय समिति (DLC) को किसान द्वारा जमा किये गये दस्तावेजों से स्वयं सत्यापित करना होगा।

(12) DLC द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व में अर्ह किसान को योजना का लाभ एक लाख की सीमा तक दिया गया है या नहीं। इसके लिए पोर्टल पर आधार नम्बर फीड कर ज्ञात किया जा सकता है।

(13) भू-लेख डाटा की फीडिंग नहीं की जायेगी। जिला स्तरीय समिति द्वारा खतौनी की प्रति के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा स्थलीय सत्यापन कराते हुए नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।

(14) किसान की बैंक की पास-बुक का अन्तिम पेज अपडेट होना चाहिए। किसान के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते समय इसको चेक किया जायेगा। पासबुक अपडेट नहीं होने पर उसे अपडेट करने को कहा जायेगा। किसी भी दशा में किसान का आधार-अधूरा प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(15) किसान से आवेदन पत्र को निर्धारित प्रारूप पर आधार नम्बर, बैंक पास-बुक, खतौनी की छाया प्रति के साथ लेना अनिवार्य होगा। जिस आपरेटर द्वारा आवेदन पत्र को पोर्टल पर फीड किया जायेगा, उसका उत्तरदायित्व होगा कि सभी सूचनायें शुद्ध रूप से फीड की जायें। फीडिंग में त्रुटि के कारण किसान योजना के लाभ से यदि वंचित होता है

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तो हेल्प-डेस्क का प्रभारी अधिकारी एवं कम्प्यूटर आपरेटर इस हेतु उत्तरदायी होंगे।

3. योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों में योजना के प्राविधानों के अनुसार अर्ह पाये गये कृषकों की डिमाण्ड जनपद स्तर पर ही जनरेट की जायेगी। प्रत्येक माह की 01 से 03 तारीख तक सभी जनपदों द्वारा डिमाण्ड जनरेट कर ली जायेगी, यदि कोई जनपद इस अवधि में डिमाण्ड जनरेट नहीं करता है तो उसे अगले माह की 01 से 03 तारीख के मध्य अगले चरण में अपनी डिमाण्ड जनरेट करनी होगी। अगले चरण की डिमाण्ड जनरेशन से पहले बैंकों की धनराशि का प्रेषण स्क्रॉल एवं रिफण्ड की कार्यवाही शत-प्रशित पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

जनपद स्तर पर निम्न दो वेलीडेशन चलाये जायेगें:-

(i) एक ही आधार पर एक से अधिक रिकार्ड तो नहीं है।

(ii) समान बैंक ब्रांच एक समान एक से अधिक रिकार्ड तो नहीं है।

4. रोड-मैप के अनुसार ऑफ-लाईन शिकायतों के माध्यम से डिमाण्ड जनरेट करने की व्यवस्था लागू करने से पूर्व अभी तक पोर्टल पर उपलब्ध डाटा नॉन एन0पी0ए0, एन0पी0ए तथा शिकायतों से संबंधित सभी डाटा का जिला स्तरीय समिति तथा समस्त संबंधित बैंकों द्वारा शत-प्रतिशत निस्तारण कराया जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सभी बैंकों द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र एवं रिफण्ड की कार्यवाही भी शत-प्रशित पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।

5. जिला स्तरीय समिति एवं समस्त बैंक का यह उत्तरदायित्व होगा कि प्रत्येक दशा में कोई भी पात्र कृषक योजना के लाभ से वंचित न रहे एवं कोई अपात्र कृषक योजना का लाभ प्राप्त न कर सके। योजना में पात्र एवं अपात्र का अधिकार पालिसी में जिला स्तरीय समिति को दिया गया हैं। जनपद वेलीडेशन एवं राज्य स्तर वेलीडेशान में जो भी डाटा सस्पेक्ट के रूप में फिल्टर होता है, उसे कारण सहित जिला स्तरीय समिति को पुन: स्थलीय सत्यापन कर निर्णय के लिए वापस किया जाता है। कतिपय जनपदों द्वारा इस सम्बन्ध में भ्रामक जानकारियॉ जन प्रतिनिधियों एवं शासन को दी जा रहीं है जो कि पालिसी एवं शासनादेशों का उल्लंघन है।

6. योजना में एन0आई0सी0 द्वारा पालिसी एवं शासनादेशों के दिशा-निर्देशानुसार केवल तकनीकी सहयोग देकर पोर्टल का निर्माण किया गया है। योजना से संबंधित तकनीकी क्वेरी का उत्तर देने के लिए एन0आई0सी0 उत्तरदायी है, शेष सभी शिकायतों का उत्तर संबंधित को महानिदेशक, संस्थागत वित्त विभाग द्वारा दिया जायेगा, क्योंकि इस योजना में स्टॉफ की तैनाती महानिदेशक, संस्थागत वित्त विभाग में की गयी है, कृषि विभाग एवं एन0आई0सी0 का सहयोग लिया जा सकता है।

7. सभी ब्रांचों से ऑन-लाईन पोर्टल पर एन0पी0ए0 एवं नान एन0पी0ए0 योजना में अभी तक कितने किसान योजना के लाभ से ब्रांचवार वंचित हैं, इसकी फीडिंग करायी जायेगी, जिससे ज्ञात हो सके कि कितने किसानों को अभी योजना का लाभ दिया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जाना शेष है।

8. जिला स्तरीय समिति भी अभी तक योजना में जो भी किसान अपात्र किए गए हैं, उनका उचित कारण सहित सूची बनाकर कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपलब्ध करायेगी।

9. शासनादेश संख्या: 824बी/क0नि0-6-2018-20(बी)15/2017 दिनांक 13 जुलाई, 2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीया,

(श्रुति सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या: 49/2018/3782(1)/12-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, संस्थागत वित्त विभाग, 16 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक आफ बडौदा, बडौदा हाऊस, गोमती नगर, लखनऊ।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।